न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी : सरोज ढाका, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 174/14

बजरंगलाल पुत्र रामप्रताप, जाति नाई, निवासी सोगरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
–(वादी)

बनाम

1. राज. सरकार जर्ये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा
2. स्व. रामनिवास पुत्र मन्ना (मृतक) जर्ये कायम मुकाम –

2/1 रमेशचन्द मुतबन्ना (गोदपुत्र) स्व. रामनिवास, जाति खाती, निवासी मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3. स्व. नाथूलाल पुत्र मन्ना (मृतक) जर्ये कायम मुकाम –

3/1 बाबूलाल पुत्र स्व. नाथूलाल, जाति खाती, निवासी मानसगांव, तहसील लाडपुरा, कोटा

3/2 दुर्गाशंकर पुत्र स्व. नाथूलाल, जाति खाती, निवासी मानसगांव, तहसील लाडपुरा, कोटा
–(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत बेदखली, हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 91, 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

दिनांक : 21.05.2019

उपस्थिति : श्री विद्याशंकर गोस्वामी, वादी अभिभाषक
श्री राघवेन्द्र पाल सिंह, प्रतिवादी अभिभाषक

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 91, 183 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –
दिनांक 13.01.1983 को खसरा नम्बर 132 जिसके नये खसरा नम्बर 299 की 2.14 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 337 की 1.98 हैक्टर कुल आराजी 4.12 हैक्टर ग्राम मानसगांव, तहसील लाडपुरा में स्थित भूमि का आवंटन इस आधार पर किया गया कि वादी भूमिहीन एवं रिटायर्ड सैनिक है। उक्त आवंटन आदेश की अपील प्रतिवादीगण 2 व 3 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत की। उक्त अपील न्यायालय द्वारा यह मानते हुये कि न्यायालय अपील सुनने को सक्षम नहीं है, उक्त अपील प्रतिवादीगण को वापस लौटा दी। प्रतिवादीगण नं. 2 व 3 ने पुनः अपील जिलाधीश, कोटा के यहाँ प्रस्तुत की। कोटा जिलाधीश ने उक्त अपील खारिज कर दी तथा वादी का उक्त आवंटन सही माना। इसके उपरान्त प्रतिवादीगण 2 व 3 ने उक्त जिलाधीश के आदेश दिनांक 03.10.1983 की अपील राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत की, वहाँ भी उनकी अपील दिनांक 25.03.1988 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार उपरोक्त न्यायालयों ने वादी का उक्त आवंटन सही माना। इस दौरान प्रतिवादीगण 2 व 3 ने सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिलकर उक्त वादी को एलोटशुदा आराजी अपने खाते दर्ज करवा ली तथा जमाबन्दी से सिवायचक राज. सरकार भूमि की जगह प्रतिवादीगण ने अपना नाम अंकित करवा लिया जबकि सेटलमेन्ट अधिकारियों को उक्त आवंटन के आधार पर वादग्रस्त आराजी को वादी के नाम खाते दर्ज

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

करना था लेकिन प्रतिवादीगण नं. 2 व 3 ने बिना किसी आधार के उक्त वादग्रस्त आराजी सिवायचक राज. सरकार भूमि की जगह सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिलकर अपना नाम दर्ज करवा लिया जिनको प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्तुत वाद सम्मानीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया।

वादी बहुत ही गरीब भूमिहीन रिटायर्ड सैनिक है जिसको सन् 1983 में वादग्रस्त आराजी का आवंटन किये जाने के उपरान्त भी आज तक उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला जबकि प्रतिवादी क्रम 1 राज. सरकार को वादी को उक्त आराजी पर कब्जा देना चाहिये था। चूंकि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी नं. 2 व 3 ने जबरन अवैधानिक रूप से ताकत के बल पर कब्जा कर रखा है तथा वे किसी भी सूरत पर कब्जा छोडने को तैयार नहीं है, प्रतिवादीगण की स्थिति ट्रेसपासर की है एवं उनको उक्त वादग्रस्त आराजी से बेदखल किये जाने हेतु प्रस्तुत वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादी ने कई बार मौखिक एवं लिखित में तहसील लाडपुरा एवं परगना अधिकारी, कोटा के यहां उक्त भूमि पर कब्जा दिलवाने हेतु एवं उक्त आराजी को अपने नाम खाते में दर्ज करवाने एवं उक्त आराजी र कब्जा दिलवाने हेतु निवेदन किया लेकिन वादी को उक्त वादग्रस्त आराजी पर आज तक कब्जा नहीं मिला तथा उसका नाम खाते में दर्ज भी नहीं किया गया। इसके विपरीत प्रतिवादी नं. 2 एवं 3 जिसके खाते में स्वयं की भूमि भी है। छल कपट करके उक्त वादी की एलॉटशुदा आराजी को अवैधानिक रूप से खातेदार कृषक बन गया है, वादी ने दिनांक 06.01.1989 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्रशासन गावों की ओर भी प्रेषित किया लेकिन वहां भी उसके प्रार्थना पत्र पर गौर नहीं फरमाया। अन्त में वादी को अपने वकील साहब द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 को राज. नोटिस धारा 80 सी.पी.सी. इस आशय का दिनांक 23.10.1992 को प्रेषित करवाया, नोटिस प्राप्ति के 2 माह में वादी को एलॉटशुदा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा दिलवाकर नाम जमाबन्दी में अंकित करवा दें, प्रतिवादी क्रम 1 को नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः प्रस्तुत वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। वाद कारण दिनांक 13.01.1983 को एलॉटशुदा आराजी वादी को दिनांक 30.10.1983 को नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सी.पी.सी. प्राप्त होने के उपरान्त भी वादी को उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं दिलाने तथा उसका नाम खाते में अंकित नहीं किये जाने के कारण दिनांक 30.12.1993 को उत्पन्न हुआ। वाद में प्रतिवादी क्रम 1 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है। प्रस्तुत वाद श्रीमान के अधिकार क्षैत्र का है, श्रवण योग्य है एवं अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री सव्यय इस आशय की फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 132 जिसके नये खसरा नम्बर 299 की 2.14 हैक्टर एवं नये खसरा नम्बर 337 की 1.98 हैक्टर कुल आराजी 4.12 हैक्टर ग्राम मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा जो वादी को को आवंटित की गई है। उक्त आराजी वादी के नाम अंकित की जावे तथा वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा, वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ बेदखली अन्तर्गत धारा 183 राज.टी.एक्ट 1955 के तहत डिक्री व्यय इस आशय की फरमाई जावे कि उक्त वादग्रस्तु आराजी पर से प्रतिवादीगण 2 व 3 को बेदखल किया जाकर वादी को उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा दिया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी क्रम 3/1 बाबूलाल की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि वादी का आवंटन सिर्फ कागजों में कभी किसी वक्त हुआ हो जिसकी जानकारी के अभाव में पूर्णतया स्वीकार नहीं है। वादी कभी भी दावे में आलेखित भूमि पर 1 मिनट के लिये भी काबिज काश्त नहीं रहा है। यदि आवंटन हुआ तो भी आवंटन की शर्तो का पालन नहीं होने से स्वतः ही निरस्त माना जावेगा, दूसरे शब्दों में वादी का तथाकथित आवंटन प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य (एबनिशियो नल एण्ड वॉइड) होना प्रमाणित है। प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी सीधे सेटलमेन्ट से उक्त आराजी को अपने खाते

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

दर्ज नहीं करवाया है बल्कि इसी न्यायालय में नियमानुसार सभी पक्षकारों को सुन कर प्रतिवादीगण के खाते दर्ज किये जाने हेतु इसी वादग्रस्त भूमि का वाद प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2003 से उसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के यहां की जाकर निर्णय दिनांक 28.09.2004 से प्रतिवादीगण के पक्ष में वादी के निर्णय डिक्री को निरस्त करते हुये उक्त प्रकरण इस न्यायालय में रिमाण्ड किया गया है। जिससे वादी के पक्ष में किया गया निर्णय 16.04.2003 समाप्त हो चुका है। उक्त अपील में अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित था कि अपीलीय न्यायालय माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 10.04.1990 के द्वारा मृतक नाथूलाल व रामनिवास प्रतिवादीगण के पक्ष में खातेदारी अधिकार दिये जा चुके थे तथा उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.1990 आज की दिनांक तक किसी भी न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं की गई है। आज की तारीख में प्रभावी है, जब प्रार्थी राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 153/90 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.1990 के द्वारा घोषित किया जा चुका था, तथा उसकी अपील में भी माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर से पुष्टि की गई है। जिससे वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण रिकोर्डेड खातेदार है। वादी न तो रिकोर्डेड खातेदार है और न ही उसका कब्जा है। जिससे उक्त वाद खातेदारों के विरूद्ध चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी सेटलमेन्ट अधिकारियों से वादग्रस्त भूमि को खाते नहीं बंधवाया है बल्कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.1990 की पालना तद्समय राजस्व रिकार्ड भू प्रबन्ध विभाग के अधीन कार्यरत होने से उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना नियमानुसार की गई है। वादी को वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। वाद प्रस्तुत करने की मियाद मात्र 3 वर्ष होती है। वादी का वाद अवधि बाधित है। वादी के वाद को मियाद बाहर आवंटन के नियम के विरूद्ध होने से मात्र प्रतिवादी क्रम 1 राजस्थान सरकार पेश किया जाना प्रमाणित करता है क्योंकि प्रतिवादीगण 2 व 3 उक्त वादग्रस्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आने से पूर्व ही खातेदार होने से तथा न्यायालय की डिक्री के आधार पर रिकार्डेड खातेदार होने से प्रतिवादीगण कभी भी ट्रेसपासर की हैसियत से नहीं रहे है जिससे वादी को जो कि स्वयं खातेदार नहीं है और ना ही खातेदार बन सकता है। समस्त चरण स्वयं के द्वारा वाद प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त करता है। जिससे उक्त वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किये जाने योग्य है। उक्त अलोटशुदा भूमि वादी को न तो कभी भी कब्जा दिया गया है और ना ही उसे खाते बांधा गया है। जिसकी कार्यवाही वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से किया जाना और प्रतिवादी क्रम 1 की जानकारी में प्रतिवादी क्रम 2 व 3 को सक्षम न्यायालय द्वारा खातेदारी दिया जाना स्वयं वादी द्वारा स्वीकार करने से उक्त वाद अवधि बाधित होने से आर्डर 7 रूल 11 में खारिज किये जाने योग्य है। पुनश्चः वादी को उक्त वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। वाद कारण, स्वयं वादी के वाद के अनुसार दिनांक 13.01.1983 को उत्पन्न हो चुका था, उसे मियाद में लेने का असफल प्रयास कर मात्र दिनांक 30.10.1998 को धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रतिवादी क्रम 1 के लिये तथा प्रतिवादी क्रम 1 का कब्जा नहीं दिलाने के कारण दिनांक 30.12.1993 पेर से आलेखित कर टाइपशुदा चरण संख्या 6 स्वतः ही वाद को अवधि बाधित होना प्रमाणित करती है जो कि लिमिटेशन एक्ट एवं ऐविडेन्स एक्ट के कानूनों से प्रतिवंधित होने से चलने योग्य नहीं है खारिज किये जाने योग्य है। वादी को वादग्रस्त आराजी जिराके संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया है तथा जिस वादग्रस्त भूमि को इस न्यायालय की प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा निर्णय एवं डिक्री से प्रतिवादीगण को खातेदारी दी गई है उसके संबंध में उसी आराजी को इस न्यायालय में स्वयं की खातेदारी में घोषित किये जाने बाबत् प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती है। जब धारा 88, 91 में वादी को खातेदारी ही नहीं दी जा सकती है तो वादी द्वारा प्रतिवादीगण को 183 आर.टी.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

एक्ट के तहत बेदखल किये जाने की प्रार्थना गैर कानूनी होने से किसी भी सूरत में स्वीकार योग्य नही है। वादी स्वयं का वाद चलने योग्य नही होने से किसी भी प्रकार की न्यायालय से न्यायोचित प्रतिवादीगण के विरूद्व प्राप्त नहीं कर सकता है बल्कि उल्टे प्रतिवादीगण वादी से उसके द्वारा जानबूझकर बिना किसी आधार के उक्त वाद प्रस्तुत कर गत् 23 वर्षो से न्यायालय में बिना वजह परेशान करने से भारी हर्जा खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त विशेष कथन में अंकित किया कि वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादी कम 1 राजस्थान सरकार के विरूद्व पेश किया था क्योंकि वादी को आवंटन जिस भूमि का किया गया था वह भूमि सिलिंग सिवायचक होने से प्रतिवादीगण का आर.टी.एक्ट लागू होने के पहले से ही काबिज काश्त होने के कारण माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकार दिये जाने से जिसकी भूमि सिलिंग में अधिग्रहित की गई थी उसके वारिसानो के द्वारा भी वर्तमान मे इसी न्यायालय मे इन्ही प्रतिवादीगण के विरूद्व बाबत् कब्जा लेने व खातेदारी अधिकारों के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया था तथा वह वाद भी इसी माननीय न्यायालय द्वारा चलने योग्य नहीं होने से अवधि बाधित होने से ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत खारिज फरमाया गया है। ठीक इसी प्रकार वाद किसी भी सूरत में स्वयं वादी के वाद अनुसार चलने योग्य नहीं होने से ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत खारिज किये जाने योग्य है। जिसके लिये इस जवाब के साथ ही ऑर्डर 7 रूल 11 का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया जा रहा है। पुनश्चः वादी के वाद में चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय द्वारा स्वयं वादी के वाद अनुसार दिया जाना संभव नहीं होने से भारी हर्जे खर्चे से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने की कृपा करें। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में वाद पत्र के साथ निम्न दस्तावेज पेश किये गये –

प्रदर्श 1	नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी की प्रति
प्रदर्श 2	जिलाधीश, कोटा को प्रेषित पंजीकृत डाक की रसीद नम्बर 3803
प्रदर्श 3	जिलाधीश, कोटा को प्रेषित पंजीकृत डाक की प्राप्ति रसीद (ए.डी.)
प्रदर्श 4	ग्राम मानसगांव, तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 132, 133 की नकल जमाबन्दी संवत 2035–2038
प्रदर्श 5	ग्राम मानसगांव, तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 299, 337 की नकल जमाबन्दी संवत 2047–2050
प्रदर्श 6	ग्राम मानसगांव, तहसील लाडपुरा के (गत) साबिक खसरा नम्बर 139, 132 का मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057
प्रदर्श 8	वादी को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 132 का आवंटन पत्र की नकल
प्रदर्श 9	न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत सिलिंग अपीलों के आदेश दिनांक 12.12.1988 की नकल (5 पेज)

3. प्रकरण के वाद पत्र एवं जवाब दावा के कथनों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन उपरान्त निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये –

(i) आया वादी भूमिहीन एवं रिटायर्ड सैनिक होने के कारण विवादित भूमि सरकार द्वारा उसे आवंटन की गई थी।

(ii) आया वादी के आवंटन आदेश दिनांक 13.01.2003 के विरूद्व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील जिलाधीश, कोटा द्वारा दिनांक 03.10.83 को खारिज कर दिया, तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा जिलाधीश, कोटा के आदेश दिनांक 03.10.83 के विरूद्व प्रस्तुत अपील मण्डल द्वारा निरस्त कर, आवंटन आदेश बहाल रखा, जो यथावत प्रभाव में है।

(iii) आया प्रतिवादीगण द्वारा सेटलमेन्ट विभाग से मिलकर विवादित भूमि को राज. सिवायचक की जगह अपने खाते दर्ज करवा लिया है, जो दुरूस्तनीय है तथा वादी विवादित भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

(iv) आया प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर ट्रेसपासर होने से वादी उनके विरूद्ध बेदखली की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।
(v) आया आवंटन की शर्तों की पालना नहीं होने से आवंटन, प्रतिवादी के विरूद्ध प्रभावशून्य है। (प्रतिवादी)
(vi) आया उक्त वाद अवधि बाधित होने से आर्डर 7 रूल 11 के तहत निरस्तनीय है। (प्रतिवादी)
(vii) आया भू प्रबन्ध विभाग द्वारा विवादित सिवायचक भूमि को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 10.04.1990 की पालना में प्रतिवादीगण के खाते दर्ज किया जाना न्यायोचित है। (प्रतिवादी)
(viii) आया विवादित भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (प्रतिवादीगण)
(ix) अनुतोष ?

4. प्रकरण में बहस अन्तिम के दौरान प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर निवेदन किया कि उनके पक्षकार को प्रकरण की विवादित आराजी से सम्बन्धित कुछ निर्णयों की प्रतियां प्राप्त हुई है। जिनको रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। उक्त निर्णय की प्रतियां प्रमाणित होने तथा प्रस्तुत प्रकरण की विवादित आराजी से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त निर्णयों को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

5. प्रकरण में पत्रावली के बहस अन्तिम में आने पर विद्वान वादी एवं प्रतिवादी क्रम 3(1) के अभिभाषक की बहस अन्तिम सुनी गई।
वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि वादी विवादित आराजी का आवंटी है तथा वादी का आवंटन आदिनांक तक बहाल है। अतः वादी को आवंटित आराजी गत खसरा नम्बर 132 के वर्तमान खसरा नम्बर 337 की 1.98 हैक्टर आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर वादी के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। वादी वकील द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के गत निर्णयों की निम्न नजीरें पेश की है –
(a)- RRD 2018 Page 51-55
(b)- RRT 2006(2) page 1171-1176
(c)- RRD 2014 Page 268-281
(d)- RRD 14.06.2017, Page352-356
(e)- RCR (Rent) 2018(2), Page 566-570
(f)- AIR 1994 (S.C.), Page 853-855
प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि विवादित आराजी माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 10.04.1990 के अनुसार प्रतिवादीगण के खाते दर्ज की गई है तथा इस निर्णय की माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील किये जाने पर उक्त अपील भी खारिज कर दी गई है। इस प्रकार उक्त निर्णय दिनांक 10.04.1990 आदिनांक तक बहाल है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया, जिसके आधार पर प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –
(i) *आया वादी भूमिहीन एवं रिटायर्ड सैनिक होने के कारण विवादित भूमि सरकार द्वारा उसे आवंटन की गई थी।*
इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। अपने कथन के समर्थन में वादी द्वारा आवंटन आदेश की प्रति (प्रदर्श–7) पेश की गई है। जिसके अनुसार वादी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

द्वारा मिलिट्री रिटायर होने के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 के अधीन कृषि प्रयोजनों के लिये बिना काश्त की सरकारी भूमियों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया था, जिस पर पटवारी रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 13.01.1983 को वादी बजरंगलाल पुत्र रामप्रताप को ग्राम मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 132 की 12 बीघा 07 बिस्वा आराजी का आवंटन किया गया था। इस प्रकार वादी के कथन की पुष्टि उसके आवंटन आदेश से हो रही है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

(ii) *आया वादी के आवंटन आदेश दिनांक 13.01.2003 के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील जिलाधीश, कोटा द्वारा दिनांक 03.10.83 को खारिज कर दिया, तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा जिलाधीश, कोटा के आदेश दिनांक 03.10.83 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मण्डल द्वारा निरस्त कर, आवंटन आदेश बहाल रखा, जो यथावत प्रभाव में है।*

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में किसी भी अपील के निरस्त होने सम्बन्धी दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी के कथन की पुष्टि नहीं होने से यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(iii) *आया प्रतिवादीगण द्वारा सेटलमेन्ट विभाग से मिलकर विवादित भूमि को राज. सिवायचक की जगह अपने खाते दर्ज करवा लिया है, जो दुरूस्तनीय है तथा वादी विवादित भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है।*

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।

प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा पेश किये गये माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के अपीलीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.1990 से अपीलान्ट, (जो प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी क्रम 2 व 3 है), को विवादित आराजी खसरा नम्बर 132 का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा सेटलमेन्ट विभाग से मिलकर विवादित भूमि को सिवायचक की जगह अपने खाते दर्ज नहीं करवाया गया है, जो दुरूस्तनीय नहीं है। प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने अपने जवाब दावा एवं बहस में निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी न्यायालय के आदेश से प्रतिवादीगण के खाते दर्ज की गई है। विवादित भूमि पर गत 55 वर्षो से भी अधिक समय से प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। स्पष्ट है कि विवादित भूमि को प्रतिवादी क्रम 2 व 3 ने भू–प्रबन्ध विभाग से मिलकर अवैधानिक तरीके से राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज नहीं करवाया गया है बल्कि विवादित आराजी न्यायालय के निर्णयानुसार ही प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के खाते दर्ज की गई है। अतः यह तनकी प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के पक्ष में तथा सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(iv) *आया प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर ट्रेसपासर होने से वादी उनके विरूद्ध बेदखली की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।*

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन अध्ययन से स्पष्ट है कि वर्तमान में विवादित खसरा नम्बर प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है तथा प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर ट्रेसपासर नहीं है। प्रतिवादीगण के ट्रेसपासर नहीं होने तथा वादी के रिकोर्डेड खातेदार नहीं होने से यी तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(v) *आया आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने से आवंटन, प्रतिवादी के विरूद्ध प्रभावशून्य है।*

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी क्रम 1 के अनुसार दिनांक 13.01.1983 को विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 132 का

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

Scanned by CamScanner

आवंटन वादी को किया गया था। उस समय संवत 2038–2057 (वर्ष 1981–2000) के दौरान सेटलमेन्ट हुआ था तथा वादी को उक्त आराजी का आवंटन दौराने सेटलमेन्ट ही हुआ था। जिसका राजस्व अभिलेख में इन्द्राज नहीं हो पाया था। वादी को आवंटित गत खसरा नम्बर 132 से नये खसरा नम्बर 337 रकबा 1.98 हैक्टर कायम किया गया। संवत 2038–2057 के दौरान प्रतिवादीगण को वर्तमान खसरा नम्बर 299 रकबा 2.14 हैक्टर आवंटित किया गया था। आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने पर आवंटन निरस्त हो जाना चाहिये था, जो कि नहीं हुआ है। वादी वकील द्वारा भी अपनी बहस में अवगत कराया गया है कि वादी का आवंटन आदिनांक तक बहाल है। आवंटन निरस्त नहीं हुआ है। इस प्रकार वादी को किया गया आवंटन प्रतिवादी के विरूद्ध प्रभावशून्य नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(vi) *आया उक्त वाद अवधि बाधित होने से आर्डर 7 रूल 11 के तहत निरस्तनीय है।*

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत निम्न परिस्थितियों में वाद निरस्तनीय होता है –

(क) वाद हेतुक प्रकट न हो।
(ख) दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम हो।
(ग) अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया हो।
(घ) वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो।

इस प्रकार प्रस्तुत वाद में उपरोक्त में से कोई परिस्थिति लागू नहीं होती है, जिसके कारण उक्त वाद आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। साथ ही प्रकरण के अवधि बाधित होने के तथ्यों को देखने पर ज्ञात होता है कि वादी को विवादित आराजी का आवंटन दिनांक 13.01.1983 को किया गया था। उस समय प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर अतिक्रमी के रूप में काबिज थे। उनके द्वारा कब्जा नहीं छोडने के कारण वादी अपनी आराजी पर कब्जा नहीं कर पाया तथा जिलाधीश, कोटा को धारा 80 सीपीसी का वाद पेश करने के बाद न्यायालय में अपना वाद पेश कर दिया गया था जो प्रकरण की आदेशिका अनुसार दिनांक 11.01.1995 को दर्ज किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183, 88, 91 के अन्तर्गत पेश किया गया है। इनमें से धारा 88 व धारा 91 आर.टी.ए. में वाद पेश करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है तथा धारा 183 आर.टी.ए. में वाद पेश करने के लिये 12 वर्ष की अवधि निर्धारित है। वादी द्वारा आराजी आवंटन तिथि 13.01.1983 से 12 वर्ष पूर्व ही पेश कर दिया गया था जो न्यायालय में दिनांक 11.01.1995 को दर्ज किया गया। इस प्रकार यह वाद न तो अवधि बाधित है और न ही आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत निरस्तनीय है। अतः कथन की पुष्टि नहीं होने से यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

(vii) *आया भू प्रबन्ध विभाग द्वारा विवादित सिवायचक भूमि को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 10.04.1990 की पालना में प्रतिवादीगण के खाते दर्ज किया जाना न्यायोचित है।*

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा विवादित सिवायचक भूमि को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 10.04.1990 की पालना में प्रतिवादीगण के खाते दर्ज किया गया। इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से उक्त निर्णय की सत्यप्रति भी पेश की गई है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के कथन की पुष्टि होने से यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

(viii) *आया विवादित भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते।*

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावे में इस तनकी के कथन को अंकित किया गया है। इसके सम्बन्ध में उनके द्वारा दस्तावेजात पेश कर अवगत कराया है कि विवादित आराजी माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 10.04.1990 से उनके खाते दर्ज की गई है। वर्तमान में प्रतिवादीगण ही विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

(ix) *अनुतोष ?*

प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा आवंटन के आधार पर विवादित आराजी को खाते दर्ज किये जाने तथा प्रतिवादीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 10.04.1990 के आदिनांक तक बहाल होने के कारण वाद वादी खारिज किये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है।

7. उपरोक्तानुसार प्रकरण एवं प्रकरण की तनकीयात के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय के गत निर्णय दिनांक 16.04.2003 में वाद वादी (बजरंगलाल) आंशिक स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 337 रकबा 1.98 हैक्टर सिलिंग सिवायचक दर्ज करते हुये तहसीलदार को आदेशित किया गया कि वादी के आवंटन के विषय में सन्तुष्ट होकर (अगर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो) वादी को गैर खातेदारी/खातेदारी देने के आदेश दिये गये थे, जिसकी प्रतिवादी द्वारा की इस अपील में निर्णय दिया गया कि इस न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण के दौरान ही प्रतिवादीगण की मृत्यु हो चुकी थी, उनके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2003 को प्रभाव शून्य किया गया। प्रतिवादीगण के वारिसान को पक्षकार बनाये जाकर जवाब दावा एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर प्रकरण में पुनः सुनवाई करने का आदेश दिया गया। वादी को विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 312 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा का आवंटन हुआ। आवंटन उपरान्त वादी द्वारा विवादित आराजी पर अपना कब्जा नहीं किया गया। वादी को आराजी का आवंटन होने के पूर्व से ही प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा था। उक्त कब्जे के आधार पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के अपीलीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.1990 से अपीलान्ट, (जो प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी क्रम 2 व 3 है), को विवादित आराजी खसरा नम्बर 132 का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। मुताबिक मिलान क्षैत्रफल, तब से ही प्रतिवादीगण गत खसरा नम्बर 132 एवं एवं नये बने खसरा नम्बर 337 पर काबिज काश्त है। वर्तमान राजस्व अभिलेख के मुताबिक प्रतिवादीगण ट्रेसपासर न होकर अभिलिखित काश्तकार खातेदार है।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 10.04.1990 द्वारा यह भी तय किया गया है कि उक्त भूमि जागीर रिजम्पशन एक्ट प्रभावी होने व इससे पूर्व ही प्रतिवादी के कब्जे काश्त में थी तथा प्रतिवादी उक्त भूमियों पर संवत 2009 व इसके पूर्व से ही काबिज काश्त रहे थे। अतः उक्त भूमियों पर जागीर रिज्यूम होने के तुरन्त बाद ही जागीर रिजेम्पशन एक्त की धारा 9 व राजस्थान काश्तकारी 1955 की धारा 15 के तहत प्रतिवादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त है। जागरिदार द्वारा उक्त भूमियों को ऑपशन के रूप में दिया जाना नियम विरूद्ध था तथा उक्त भूमियां किसी भी प्रकार से भारमुक्त नहीं होने के कारण ऑप्शन में देने योग्य अथवा आवंटन योग्य नहीं थी। वादी द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 10.04.1990 के विरूद्ध कोई अपील नहीं की

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

गई। वादी को आराजी के आवंटन दिनांक 13.01.1983 के उपरान्त से 36 वर्षों में वादी कभी भी काबिज काश्त नहीं रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी द्वारा आवंटन शर्तो का पालन नहीं किये जाने तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 10.04.1990 के आदिनांक तक बहाल रहने से सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

6. यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21 मई, 2019 को सरे इलजास सुनाया गया।

(सरोज ढाका), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

Scanned by CamScanner

गूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी -- सरोज ढाका, R.A.S.

बउनवान :-
बजरंगलाल पुत्र रामप्रताप, जाति नाई, निवासी सोगरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
–(वादी)

बनाम

1. राज. सरकार जर्ये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा
2. स्व. रामनिवास पुत्र मन्ना (मृतक) जर्ये कायम मुकाम –
2/1 रमेशचन्द मुतबन्ना (गोदपुत्र) स्व. रामनिवास, जाति खाती, निवासी मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3. स्व. नाथूलाल पुत्र मन्ना (मृतक) जर्ये कायम मुकाम –
3/1 बाबूलाल पुत्र स्व. नाथूलाल, जाति खाती, निवासी मानसगांव, तहसील लाडपुरा, कोटा
3/2 दुर्गाशंकर पुत्र स्व. नाथूलाल, जाति खाती, निवासी मानसगांव, तहसील लाडपुरा, कोटा
–(प्रतिवादीगण)

दावा बावत : 88, 91, 183 RTA
मुकदमा नम्बर : 174 /14
निर्णय दिनांक : 21-05-2019

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री विद्याशंकर गोस्वामी एवं प्रतिवादी अभिभाषक श्री राघवेन्द्र पाल सिंह की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 21–05–2019 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सरोज ढाका, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी द्वारा आवंटन शर्तो का पालन नहीं किये जाने तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 10.04.1990 के आदिनांक तक बहाल रहने से सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 21.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सराज ढाका)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्र.), कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

वाद के खर्चे

	वादी			प्रतिवादी	
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रुपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रुपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शा के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रुपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

Scanned by CamScanner